संख्या : 4800 /XI/13/53(07)2011

(+35)

विनोद फोनिया
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास विभाग
पौड़ी।

ग्राम्य विकास विभाग — देहरादून : दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

विषय : **जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात नियमित कार्मिकों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त के सम्बन्ध में तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग की सहमति से पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या : 4800 /XI/13/53(07)2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–4/2/XVIII/XXI/2013–सी0एक्स, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्या–1037/XI/15/53(07)11
देहरादून: दिनांक: 26 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत नियमित कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 4300/XI/13/53(07)2011 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तगत राजकीय कार्मिक घोषित किया गया है। इन कार्मिकों को शासनादेश सं0 637/XI/14/53(07)2011 दिनांक 26.02.2014 द्वारा मौलिक नियुक्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि अनुमन्य की गयी है। उक्त शासनादेशों के क्रम में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में नियुक्त/तैनात नियमित कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में गठित "गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ" में उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. प्रत्येक जनपद में "गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ" का गठन किया जाता है। इन कार्मिकों को मौलिक नियुक्ति की तिथि से सेवा लाभ यथा–पेंशन, ग्रेच्युटी आदि देय होगी तथा शासकीय सेवकों के सम्बन्ध में निर्गत एवं भविष्य में निर्गत होने वाले शासनादेशों के अन्तर्गत आच्छादित होंगें।
2. प्रकोष्ठ में जनपदवार पदों का सृजन एवं वेतनमान निम्नानुसार होंगें:–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड–पे	नियमित कार्मिकों का विवरण													योग
				देहरादून	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तरकाशी	टिहरी	हरिद्वार	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	नैनीताल	चम्पावत	ऊधमसिंह नगर	पौड़ी	
1	परियोजना अर्थशास्त्री	15600–39100	5400	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7
2	सहायक अभियन्ता	15600–39100	5400	2	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	1	1	11
3	सहायक संख्याधिकारी	9300–34800	4200	2	1	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
4	कनिष्ठ अभियन्ता	9300–34800	4200	2	0	1	0	1	2	0	1	1	1	0	1	0	10
5	अन्वेषक तकनीकी	9300–34800	4200	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
6	लेखाकार	9300–34800	4200	2	1	2	2	2	2	1	0	0	2	0	0	2	16
7	कार्यालय अधीक्षक	9300–34800	4200	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	11
8	सहायक लेखाकार	5200–20200	2800	3	1	5	2	3	2	2	3	1	1	1	1	1	26
9	आशुलेखक	5200–20200	2800	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	9
10	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	5	2	3	3	8	2	5	5	1	5	1	0	2	42
11	चालक	5200–20200	1900	1	0	2	2	2	1	0	1	1	2	1	0	0	13
12	कनिष्ठ लेखा लिपिक	5200–20200	1900	0	0	0	2	0	2	4	0	0	4	0	0	3	15
13	परिचर/ चौकीदार/ पत्रवाहक	5200–20200	1800	4	0	4	3	3	2	4	3	0	4	0	0	3	30
	योग			25	7	22	19	24	18	20	16	7	22	7	6	16	209

क्रमशः– 2

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 2900/38–6–1982–1RD 33/81 दिनांक 20 मई, 1982 के प्रस्तर (1) मे नियोजन विभाग में तत्समय स्वीकृत जिला अर्थ अधिकारी को ही जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के लिए परियोजना अर्थशास्त्री नामित किया गया था, जिसका वर्तमान में पदनाम जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी हो गया। शासकीय विभाग में पैरिटी की दृष्टिगत परियोजना अर्थशास्त्री के पदनाम को अर्थ एवं संख्याधिकारी किया जाता है।

3. केन्द्र पोषित योजनाओं का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किया जाता है, जो कि भविष्य में भी किया जायेगा। उक्त गठित प्रकोष्ठ के कार्मिकों को जो कि पूर्णतः शासकीय सेवक होंगें, को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नामित किया जाता है। स्वतः इन कर्मियों को उक्त प्रकोष्ठ में पदों के सापेक्ष तैनात कार्मिक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में तैनात रहेंगें। इन कार्मिकों को कोई अतिरिक्त भत्ते/प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा और न ही भविष्य में कार्मिकों द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ते की मांग की जायेगी।
4. प्रकोष्ठ में तैनात कार्मिकों के वेतन, भत्तों आदि का आहरण अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक 2515–00–102–03 से सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा।
5. प्रकोष्ठ में सृजित पदों को (मृतक आश्रित को छोड़कर) मृत संवर्ग घोषित करते हुए प्रकोष्ठ में तैनात कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने पर रिक्त पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की जायेगी तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की आवश्यकतानुसार ग्राम्य विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।
6. प्रकोष्ठ में तैनात कार्मिकों के जनपद स्तर पर नियंत्रक अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड होंगें।
7. प्रकोष्ठ में नियुक्त/तैनात कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाता खोलने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी एवं सी.पी.एफ. के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान को मय ब्याज सहित जी.पी.एफ. खाते में जमा कराया जायेगा।
8. प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिकों के अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने पर पेंशन अंशदान नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा एवं पूर्व में सी.पी.एफ. में जमा नियोक्ता अंशदान मय ब्याज सहित पेंशन अंशदान के रूप में राजकोष में जमा किया जायेगा।

क्रमशः– 3

9. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तराखण्ड से पत्राचार हेतु विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

यह कार्यालय आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0–122/XXVII(7)/2015 दिनांक–22 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

(विनोद फोनिया)
सचिव,

संख्याः 1037/XI/15/53(07)11तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, कुमायॅ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तरराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव,

संख्या– 637/XI/14/53(07)11

विनोद फोनिया
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषयः– जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक–14 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनानदेश संख्या–4800/XI/13/53(07)11 दिनांक–31 दिसम्बर, 2013 के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात नियमित कार्मिकों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए उक्त के सम्बन्ध में समग्र नियमावली पृथक से यथाप्रकिया प्रख्यापित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिनांक–07 फरवरी, 2014 को सम्पन्न मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात नियमित कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ (पेंशन/ग्रेच्युटी आदि) उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि से अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात नियमित कार्मिकों का विस्तृत विवरण यथा नियमित नियुक्ति का आदेश, नियमित नियुक्ति के समय पदनाम, वर्तमान धारित पदनाम आदि तथा इन कर्मचारियों द्वारा कौन–कौन सा वित्तीय लाभ लिया जा रहा है, तथा कौन–कौन सी कटौती की जा रही है के विस्तृत विवरण के साथ–साथ नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि दिनांक–14 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुपालन में यथा प्रकिया एक समग्र नियमावली प्रख्यापित की जा सके।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 637/XI/14/53(07)11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–4/2/VII/2014–सी0एक्स दिनांक–13 फरवरी, 2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश सिंह)
अनु सचिव।